10 2/23 पत्रावली पेश हुई, वकील वादीगण उपस्थित, वकील वादीगण ने अपनी बहस के दौरान बताया कि उनके पिता बद्री के निधन के पश्चात उनके नाम अंकित राजस्व अभिलेख विरासत से केवल मात्र प्रतिवादी सं० 01 लगायत 10 के नाम अंकित कर दिया गया तथा उसमे वादीगण का नाम अंकित नही किया गया जब कि वादीगण भी अपने पिता बद्री दरोगा के प्रथम श्रेणी के वारिसान होकर उनका नाम 1/5, 1/5 हिस्से से राजस्व अभिलेखो मे अंकित किया जाना चाहिये था जो अंकित नही किया गया। जिस वजह से वादीगण को वाद ग्रस्त आराजी मे खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 15:37:22 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	वादीगण के नाम पृथक-पृथक राजस्व अभिलेख उक्त हिस्सेनुसार अंकित किये जाने का निवेदन किया। वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे जमाबन्दी संवत 2048 से 2051, 2076 से 2079 वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध मे पेश की तथा ग्राम खामोर की जमाबंदी संवत 2076 से 2079 मे खाता सं. 884 की प्रमाणित प्रति तथा वादीगण के विद्यालय मे अध्ययन करनेबाबत टी.सी. एव आधार कार्ड की फोटो प्रतिया प्रस्तुत की गई। वकील वादीगण उक्तानुसार दस्तावेजो के आधार पर वाद पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।
	मैने पत्रावली का अवलोकन किया एव वकील वादीगण की बहस पर मनन किया जिससे यह जाहिर आया कि वादीगण का नाम अपने पिता की विरासत मे अंकित नही किया गया है, वादीगण ने ग्राम खामोर मे स्थित अपने पिता के नाम की जमाबंदी मे विरासत से उनके नाम पर राजस्व अभिलेख मे अंकित होने की दस्तावेजी साक्ष्य पेश की साथ ही वादीगण के नाम स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) वादीगण के पिता का नाम बद्री दरोगा अंकित है। जिससे यह प्रमाणित होता है कि वादीगण अपने पिता बद्री आत्मज नन्दराम दरोगा की पुत्रिया होकर प्रथम श्रेणी की वारिस है जिस वजह से वादीगण का नाम भी अपने पिता की विरासत से अंकित होना विधि पूर्ण है।
	वादीगण व उनके साक्षी के बयानो स्वरूप प्रस्तुत शपथपत्रो एव प्रस्तुत दस्तावेजो का समग्र अवलोकन करने से वादीगण अपना वाद पत्र सिद्ध कराने मे सफल रही है, वादीगण के कथनो के खण्डन मे पत्रावली पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजो पर अविश्वास होने का कोई कारण पत्रावली पर नही है, अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है; अतएव
	उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 16:37:22 IST
Reason: SelfAttested

रीख क्रम	हुक्म या कार्यवाही भय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

:: आदेश ::

वादीगण का वाद पत्र प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 के विरुद्ध स्वीकार किया जाकर ग्राम धुंवाला पटवार हल्का धुंवाला तहसील मांडल में स्थित हाल खाता सं॰ नया 490 में अंकित आराजी नं॰ 2923/232 रकबा 5.00 बीघा (1.2646 हे॰) भूमि में प्रत्येक वादिया को 1/5 - 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार वादीगण का नाम उक्त आराजियात के राजस्व अभिलेख मे हिस्सा 1/5 - 1/5 से अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है एंव प्रत्येक वादिया का उक्त आराजी मे 1/5 एक हिस्से का विभाजन से पृथक-पृथक राजस्व अभिलेख मे भी अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय मे आज दिनांक 10.2.23 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 15:37:22 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री

(आ0 20 नियम 6 / आ0दी0)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान

वईजलास श्री नारायणलाल जीनगर (आर0ए0एस0)

अनवान प्रकरण

श्रीमती मंजु D/o श्री बद्री दरोगा पत्नी श्री किशन सिंह चौहान निवासी धुंवाला त० मांडल हाल निवासी - बनेड़ा तहसील - बनेड़ा जिला - भीलवाड़ा

श्रीमती रीना कुमारी उर्फ रीना कंवर D/o श्री बद्री दरोगा एंव पत्नी श्री रघुवीर सिंह चौहान नि० धुंवाला हाल निवासी कुड़ियाकला तहसील - बनेड़ा जिला - भीलवाड़ा [वादीगण]

बनाम

श्री राजू S/o श्री बद्री दरोगा (2) श्रीमती कान्ता देवी W/o श्री शिवलाल दरोगा (3) सुश्री दुर्गा D/o श्री शिवलाल दरोगा (4) श्रीमती पूजा W/o श्री शिवलाल दरोगा (5) सुश्री गायत्री D/o श्री शिवलाल दरोगा

सुश्री मोनिका D/o श्री शिवलाल दरोगा जरिए प्रा० संरक्षिकामाता पूजा W/o शिवलाल दरोगा

सुश्री रंजना D/o श्री शिवलाल दरोगा —— " ——

सुश्री यशकंवर D/o श्री शिवलाल दरोगा —— " ——

श्री किशनसिंह S/o श्री शिवलाल दरोगा —— " ——

मु० सायरी W/o श्री बद्री दरोगा सर्व निवासियान धुंवाला (मांडल) तहसील - मांडल

राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सा० माण्डल तहसील - मांडल

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 92(क), 188 R.T.A मुकदमा नं0 / वर्ष 04/22 निर्णय दिनांक 10.2.23

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत द हिजरी वकील वादी निनजानिब मुददई व श्री प्रदीप कुमार व्यास Advo. मनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि वकील वादीगण का वाद पत्र प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 के विरुद्ध स्वीकार किया जाकर ग्राम धुंवाला पटवार हल्का धुंवाला तहसील मांडल मे स्थित हाल खाता सं० नया 490 मे अंकित आराजी नम्बर 2923/232 रकबा 5.00 बीघा (1.2646 है०) भूमि मे प्रत्येक वादिया को 1/5 - 1/5 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार वादीगण का नाम उक्त आराजियात के राजस्व अभिलेख मे हिस्सा 1/5-1/5 से अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है एंव प्रत्येक वादिया का उक्त आराजी मे 1/5 हक हिस्से का विभाजन से पृथक-पृथक राजस्व अभिलेख मे भी अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार माण्डल राजस्व अभिलेख मे अमल दरामद करे। खर्चा-फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आज तारीख 10.2.23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 16:37:22 IST
Reason: SelfAttested